

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1887/2020

राज कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सुशील कुमार सिंह, आदर्श श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जे.बी.एस. राठौर

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

इस जनहित याचिका पर बल देने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर का प्रतिशपथपत्र अभिलेख पर उपस्थित हैं, जिसमें यह कहा गया है कि दो जाँचें कराई गईं और उसके बाद अग्रिम जाँच कराने का निर्णय लिया गया था।

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता इस तथ्य से अवगत नहीं है कि क्या जाँच पूर्ण हो चुकी है।

जो भी हो, यदि कोई हेतुक शेष है, तो याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर से संपर्क कर सकता है, जो उनके द्वारा/पक्ष से दायर शपथपत्र के आलोक में उचित कार्रवाई करेंगे, जब तक कि जाँच पहले ही पूर्ण न हो चुकी हो और समुचित निर्णय/कार्रवाई न की जा चुकी हो।

उपरोक्त के आलोक में, यह जनहित याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

20 फरवरी, 2026

नितेश